सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

1. प्राचार्य,
   जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
   समस्त जनपद, उ0प्र0।

2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   सर्व शिक्षा अभियान,
   समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: आर0ई0एम0एस0/ 2862 /2011-12 दिनांक: 14. 9. 2011

विषय: **वर्ष 2011-12 हेतु शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण आर0ई0एम0एस0 मद की धनराशि का प्रेषण एवं इसके उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश।**

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में जनपद की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को प्रति विद्यालय रु. 300/- जिला परियोजना कार्यालय को प्रति विद्यालय रु. 250/- तथा ब्लाक/नगर स्तरीय अधिकारियों के लिए रु. 450/- की दर से धनराशि अनुमन्य की गयी है जिसकी 50% धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार जनपदों को इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर से भेजी जा चुकी है। (संलग्नक-1) डायट छत्रपति शाहूजी महाराजनगर का खाता संख्या प्राप्त होने के उपरान्त रु. 2.811 लाख धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

कृपया शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मद में डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा ब्लाक मुख्यालय द्वारा निम्नांकित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु शोध कार्य राज्य स्तर पर बाह्य एजेन्सियों द्वारा कराये जाते रहे हैं किन्तु वर्ष 2011-12 के लिए भारत सरकार की यह अपेक्षा है कि जनपद स्वयं अपने स्तर से बाह्य एजेन्सी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन करायें। इस हेतु निम्नलिखित 20 जनपदों - ***अलीगढ़, कानपुर नगर, मेरठ, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, वाराणसी, मऊ, महाराजगंज, गोण्डा, ललितपुर, गाजियाबाद, सोनभद्र, रामपुर, बरेली, सुल्तानपुर, आगरा, कानपुर देहात, सहारनपुर एवं बिजनौर*** में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराये गये कार्यक्रमों की प्रभावकारिता एवं प्रगति के सम्बन्ध में शोध कराया जाना है।

इस हेतु सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, डायट द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे। शोध हेतु प्रस्ताव ऐसी संस्थाओं से आमंत्रित किये जाये जो पंजीकृत हो तथा शिक्षा के क्षेत्र में

D:\Research Study\REMS\letter for rems budget 11-12.doc

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780996, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; [illegible]

शोध/सर्वे आदि का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखती हो। उक्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों से भी आमंत्रित किये जा सकते है। शोध के विषय का चयन निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा।

1. प्राचार्य डायट
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
3. प्राचार्य द्वारा नामित एक वरिष्ठ प्रवक्ता
4. जिला समन्वयक, प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता

उक्त समिति द्वारा शोध हेतु चयनित विषय के सम्बन्ध में एक टी0ओ0आर0 (Terms of Refrences) तैयार किया जायेगा जो शोध के लिये आवेदन करने वाली संस्थाओं को प्राप्त कराया जायेगा ताकि संस्थायें विधिवत् प्रस्ताव/अनुमानित बजट सहित डायट को भेज सके।

शोध रिपोर्ट अंग्रेजी/हिन्दी में तैयार करायी जायेगी। टी0ओ0आर0 के साथ अनुबन्ध (Agreement) हस्ताक्षरित कराने के पश्चात् ही एजेन्सी को शोध कराने की अनुमति दी जाये। इस हेतु उपरोक्त जनपदों को रू0 75,000 की सीमा तक ही व्यय किया जाना अनुमन्य है।

अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन -

- **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत स्टाफ** - प्राचार्य, उपप्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट मेन्टर्स द्वारा विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं गहन अनुश्रवण किया जायेगा तथा अध्यापकों का अकादमिक अनुसमर्थन देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। इस हेतु यात्रा देयकों का नियमानुसार भुगतान अनुमन्य है। यदि विशेष कार्य हेतु वाहन की आवश्यकता हो तो नियमानुसार किराये का वाहन भी अनुमन्य होगा।
- **डायट प्राचार्य बी0आर0सी0/यू0आर0सी0** स्तर पर सम्पन्न होने वाले सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण का अनुश्रवण व पर्यवेक्षण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर डी0आर0जी0/बी0आर0जी0/ए0आर0जी0 के माध्यम से करायेंगें तथा प्रत्येक प्रशिक्षण की विश्लेषणात्मक आख्या तैयार करेंगे।
- **लर्निंग इन्हान्समेन्ट प्रोग्राम** (एल0ई0पी0) के अन्तर्गत विद्यार्थियों की सम्प्राप्ति स्तर का पूर्व एवं पश्चात परीक्षण, वातावरण सृजन विषयक गतिविधियों (प्रर्दशनी, मेला), प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के अनुरूप अध्यापकों द्वारा कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन तथा अभिलेखीकरण का कार्य सम्पादित किया जाये।
- **शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु** ब्लाक/नगर क्षेत्र स्तर पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सघन अनुश्रवण टीम बनाकर किया जाये ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो। इसके अन्तर्गत यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अध्यापक द्वारा उसका कक्षा शिक्षण में उपयोग हो तथा यदि कोई समस्या आती है तो विद्यालयों में स्थलीय अकादमिक सहयोग दिया जाये।
- प्रत्येक कार्यक्रम का अभिलेखीकरण फोटो सहित अनिवार्यतः किया जायेगा।
- **क्वालिटी मानीटरिंग प्रपत्रों** को विगत वर्ष की भांति यथा आवश्यकता मुद्रित कराकर विद्यालयों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों, ब्लाक/नगरीय संसाधन केन्द्रों को उपलब्ध कराकर निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त की जाये।
- **डायट द्वारा निरन्तर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों** का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण किया जायेगा। इसके लिए विद्यालयों में ही अध्यापकों को विषयवार समस्याओं का समाधान किया जाये।
- **शिक्षामित्र प्रशिक्षण-** वर्ष 2011-12 में स्नातक शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की देखरेख में प्रत्येक बी0आर0सी0 पर दिया जायेगा। चूंकि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदेश में पहली बार सम्पन्न कराया जा रहा है, अतः निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण को गुणवत्तापरक बनाये जाने हेतु प्रशिक्षण का निरन्तर अनुश्रवण/पर्यवेक्षण किया जाये।

- शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण के अनुश्रवण के लिए प्रत्येक ब्लाक में डायट के 2-2 प्रवक्ताओं को उत्तरदायी बनाते हुए निरंतर उन विकासखण्डों में भेजकर प्रशिक्षण का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण कराया जाये जिसका अभिलेखीकरण भी अनिवार्य रूप से कराया जाये।
- शिक्षामित्र प्रशिक्षण के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक माह बी0आर0सी0 समन्वयक एवं सह-समन्वयकों की अनिवार्य रूप से बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें प्रशिक्षण की प्रगति एवं अगले माह की कार्य-योजना पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। बैठकों के आयोजन का व्यय अनुश्रवण मद से वहन किया जायेगा।
- **विशेष प्रशिक्षण** - आउट आफ स्कूल बच्चों को आयु संगत कक्षा में प्रवेश दिलाकर उन्हें विद्यालय परिसर में ही विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। अतः ऐसे विद्यालयों में जहां विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है, उन विद्यालयों का सघन अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन टीम बनाकर डायट स्तर से डायट प्राचार्य, प्रवक्ता व डायट मेण्टर द्वारा किया जाये ताकि कार्यक्रम संचालन में अकादमिक सहयोग एवं शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान किया जा सके।

एक्शन रिसर्च -

- एक्शन रिसर्च का उद्देश्य तत्काल समस्या का समाधान करना है। इस हेतु सर्व प्रथम प्रत्येक ब्लाक पर कम से कम 05 सहसमन्वयकों/अध्यापकों को एक्शन रिसर्च कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाये। प्रत्येक डायट के 01 प्रवक्ता को उत्तरदायित्व सौंपा जाये ताकि वह गम्भीरता से प्रत्येक ब्लाक में कम से कम 05 एक्शन रिसर्च करायें। एक्शन रिसर्च हेतु पेपर, टाइपिंग आदि के लिए प्रति एक्शन रिसर्च पर रू0 400/- तक व्यय अनुमन्य होगा।

वर्कशाप एवं सेमीनार -

- डाइट में समय-समय मीटिंग, सेमीनार एवं वर्कशाप का आयोजन किया जाये जिसमें बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन, प्राथमिक विद्यालयों के गरीब बच्चों के नामांकन के लिए प्राइवेट विद्यालयों की भूमिका, ड्राप आउट बच्चों एवं कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आयु संगत कक्षा में नामांकन तथा ठहराव की व्यवस्था, गुणवत्तापरक शिक्षा आदि के सम्बन्ध में अधिकारियों, शिक्षाविदों, शिक्षकों, समुदाय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये। इसका अभिलेखीकरण फोटो सहित कराया जाये।

<u>जिला परियोजना कार्यालय हेतु निर्देश</u>

- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला समन्वयकों, ई0एम0आई0एस0 इंचार्ज एवं कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की समस्त योजनाओं के अनुश्रवण एवं सुपरविजन हेतु यात्रा व्यय तथा स्टेशनरी पर होने वाला व्यय इस मद से नियमानुसार वहन किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अनुश्रवण हेतु किराये के वाहन की भी नियमानुसार व्यवस्था भी अनुमन्य होगी।
- राज्य स्तर अथवा बाह्य टीम पर होने वाला व्यय आर0ई0एम0एस0 मद से नियमानुसार वहन किया जायेगा।
- ब्लाक/नगरीय क्षेत्रों में स्थापित ई0एम0आई0एस0 सेल के सदस्यों के प्रशिक्षण का आयोजन ।
- परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों का मुद्रण एवं सम्बन्धित आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण/संकलन, परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों को अद्यतन किया जाना, बच्चों के ट्रेकिंग की गहन अनुश्रवण व्यवस्था।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिन्हांकन हेतु विकलांगतावार चैकलिस्ट का मुद्रण, परिवार सर्वेक्षण के समय चिन्हांकित सी0डब्लू0एस0एन0 का संकलन/कम्प्यूटरीकरण एवं अनुश्रवण।
- आगामी वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्ययोजना की संरचना।

- सतत् व्यापक मूल्यांकन के क्रियान्वयन हेतु पंजिकाओं, प्रगति प्रपत्र, सी0सी0ई0, शिक्षक संदर्शिका निर्माण, विद्यालय/एन0पी0आर0सी0/ब्लाक स्तर/नगर स्तर पर जनजागरण हेतु विज्ञापन प्रचार प्रसार तथा मुद्रण एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था।

प्रशिक्षण/संगोष्ठी एवं कार्यशालायें

- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन तथा आर0टी0ई0 2009 के संदर्भ में यथा आवश्यकता बैठक/कार्यशाला आयोजित की जाये जिनमें अधिकारियों, शिक्षाविदों, शिक्षकों, समुदाय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाय जिसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रमों में बालिकाओं के जीवन कौशल विकास हेतु स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करके कार्यक्रम बनाया जाये तथा समय-समय पर बालिकाओं की शिक्षा में गुणवत्ता विकास तथा अभिनवीकरण पर संगोष्ठी एवं कार्यशालायें आयोजित की जाये जिसका फोटो सहित अभिलेखीकरण कराया जाये।

विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का अनुश्रवण

- आउट आफ स्कूल बच्चों के लिए संचालित विशेष प्रशिक्षण का गहन अनुश्रवण, जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत, वार्ड तथा ग्राम स्तर पर भी किया जायेगा।

<u>ब्लाक मुख्यालय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ब्लाक समन्वयक हेतु निर्देश</u>

वर्ष 2011-12 में ब्लाक/नगर स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रति विद्यालय रुपये 450/- की दर से धनराशि अनुमन्य की गयी है, जिसकी 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम चरण में अवमुक्त की जा रही है। अवमुक्त की गयी धनराशि से निम्नांकित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी-

- वर्ष 2011-12 में सभी विकास संसाधन केन्द्रों पर शिक्षामित्रों का दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इस हेतु शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण की अवधि में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की सघन व्यवस्था की जायेगी।
- बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सफल संचालन हेतु विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा के0जी0बी0वी0 के भवन निर्माण की गुणवत्ता का निरंतर पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के उपरांत विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकें की जाये तथा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी।
- छात्र-छात्राओं के लिए सांस्कृतिक अकादमिक व खेलकूद से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों/प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- सर्व शिक्षा अभियान के समस्त कार्यक्रमों के संचालन तथा विद्यालयों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु यात्रा भत्ता, स्टेशनरी आकस्मिक व्यय एवं ब्लाक स्तरीय गोष्ठी आदि पर नियमानुसार व्यय अनुमन्य होगा।
- विद्यालयों में पाठ्य पुस्तके, कार्यपुस्तिकायें एवं अन्य पठन सामग्री वितरण के आधार पर कक्षा शिक्षण तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान की प्रायोगिक गतिविधियों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण प्रयोग हेतु सामग्री आदि की विद्यालयों में उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- आउट आफ स्कूल बच्चों के लिए संचालित विशेष प्रशिक्षण का गहन अनुश्रवण विकासखण्ड, न्याय पंचायत, वार्ड तथा ग्राम स्तर पर किया जायेगा।

- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में कौशल विकास कार्यक्रम का प्रभावी निरीक्षण पर्यवेक्षण व अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या प्रतिमाह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मद में धनराशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के ***मैनुअल आफ फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एवं प्रोक्योरमेन्ट*** के अनुसार वास्तविक आवश्यकता पर नियमानुसार किया जाये तथा व्यय विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को प्रत्येक माह सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्त्।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: आर0ई0एम0एस0 बजट / 2862 /2011-12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वरिष्ठ सलाहकार, राज्य परियोजना कार्यालय।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक समस्त मण्डल।
5. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय।

(डी0बी0 शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

REMS संलग्नक -1

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या रा0प0नि0/एम0पी0ई0/सी0ई0/00स0 / /2011-12 दिनांक का संलग्नक

(रुपये लाख में)

क्र0सं0	जनपद	विद्यालयों की संख्या	कुल प्राविधानित बजट	कायद		डी0पी0ओ0		ब्लाक		कुल धनराशि डी0पी0ओ0 एवं ब्लाक (कालम 8 +10)	कुल अवमुक्त धनराशि (col 6+8+10)
				प्राविधानित बजट रू0 300/- प्रति विद्यालय	अवमुक्त धनराशि 50%	प्राविधानित रू0 250/- प्रति विद्यालय	अवमुक्त धनराशि 50%	प्राविधानित रू0 450/- प्रति विद्यालय	अवमुक्त धनराशि 50%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आगरा	2814	28.14	8.44200	4.22100	7.03500	3.51750	12.66300	6.33150	9.84900	14.07000
2	अलीगढ ✓	2553	25.53	7.65900	3.82950	6.38250	3.19125	11.48850	5.74425	8.93550	12.76500
3	इलाहाबाद	3735	37.35	11.20500	5.60250	9.33750	4.66875	16.80750	8.40375	13.07250	18.67500
4	अम्बेडकर नगर	1890	18.90	5.67000	2.83500	4.72500	2.36250	8.50500	4.25250	6.61500	9.45000
5	औरैया	1553	15.53	4.65900	2.32950	3.88250	1.94125	6.98850	3.49425	5.43550	7.76500
6	आजमगढ	3257	32.57	9.77100	4.88550	8.14250	4.07125	14.65650	7.32825	11.39950	16.28500
7	बदायूँ	2962	29.62	8.88600	4.44300	7.40500	3.70250	13.32900	6.66450	10.36700	14.81000
8	बागपत	706	7.06	2.11800	1.05900	1.76500	0.88250	3.17700	1.58850	2.47100	3.53000
9	बहराइच	3273	32.73	9.81900	4.90950	8.18250	4.09125	14.72850	7.36425	11.45550	16.36500
10	बलिया	2560	25.60	7.68000	3.84000	6.40000	3.20000	11.52000	5.76000	8.96000	12.80[illegible]0
11	बलरामपुर	1931	19.31	5.79300	2.89650	4.82750	2.41375	8.68950	4.34475	6.75850	9.65500
12	बाँदा	1989	19.89	5.96700	2.98350	4.97250	2.48625	8.95050	4.47525	6.96150	9.94500
13	बाराबंकी	2820	28.20	8.46000	4.23000	7.05000	3.52500	12.69000	6.34500	9.87000	14.10000
14	बरेली	2886	28.86	8.65800	4.32900	7.21500	3.60750	12.98700	6.49350	10.10100	14.43000
15	बस्ती	2320	23.20	6.96000	3.48000	5.80000	2.90000	10.44000	5.22000	8.12000	11.60000
16	भदोही	1074	10.74	3.22200	1.61100	2.68500	1.34250	4.83300	2.41650	3.75900	5.37000
17	बिजनौर	2565	25.65	7.69500	3.84750	6.41250	3.20625	11.54250	5.77125	8.97750	12.82500
18	बुलन्दशहर	2486	24.86	7.45800	3.72900	6.21500	3.10750	11.18700	5.59350	8.70100	12.43000
19	चन्दौली	1510	15.10	4.53000	2.26500	3.77500	1.88750	6.79500	3.39750	5.28500	7.55000
20	छत्रपति साहू	1874	18.74	5.62200	2.81100	4.68500	2.34250	8.43300	4.21650	6.55900	9.37000
21	चित्रकूट	1341	13.41	4.02300	2.01150	3.35250	1.67625	6.03450	3.01725	4.69350	6.705[illegible]0
22	देवरिया	2617	26.17	7.85100	3.92550	6.54250	3.27125	11.77650	5.88825	9.15950	13.08500
23	एटा	1791	17.91	5.37300	2.68650	4.47750	2.23875	8.05950	4.02975	6.26850	8.95500
24	इटावा	1845	18.45	5.53500	2.76750	4.61250	2.30625	8.30250	4.15125	6.45750	9.22500
25	फैजाबाद	2027	20.27	6.08100	3.04050	5.06750	2.53375	9.12150	4.56075	7.09450	10.13500
26	फर्रुखाबाद	1855	18.55	5.56500	2.78250	4.63750	2.31875	8.34750	4.17375	6.49250	9.27500
27	फतेहपुर	2577	25.77	7.73100	3.86550	6.44250	3.22125	11.59650	5.79825	9.01950	12.88500
28	फिरोजाबाद	2047	20.47	6.14100	3.07050	5.11750	2.55875	9.21150	4.60575	7.16450	10.23500
29	गौतमबुद्धनगर	733	7.33	2.19900	1.09950	1.83250	0.91625	3.29850	1.64925	2.56550	3.66500
30	गाजियाबाद	1259	12.59	3.77700	1.88850	3.14750	1.57375	5.66550	2.83275	4.40650	6.29500
31	गाजीपुर	2656	26.56	7.96800	3.98400	6.64000	3.32000	11.95200	5.97600	9.29600	13.28000
32	गोण्डा	2888	28.88	8.66400	4.33200	7.22000	3.61000	12.99600	6.49800	10.10800	14.44[illegible]0
33	गोरखपुर	2963	29.63	8.88900	4.44450	7.40750	3.70375	13.33350	6.66675	10.37050	14.81500
34	हमीरपुर	1227	12.27	3.68100	1.84050	3.06750	1.53375	5.52150	2.76075	4.29450	6.13500
35	हरदोई	3682	36.82	11.04600	5.52300	9.20500	4.60250	16.56900	8.28450	12.88700	18.41000
36	हाथरस	1480	14.80	4.44000	2.22000	3.70000	1.85000	6.66000	3.33000	5.18000	7.40000
37	जालौन	1928	19.28	5.78400	2.89200	4.82000	2.41000	8.67600	4.33800	6.74800	9.64000
38	जौनपुर	3363	33.63	10.08900	5.04450	8.40750	4.20375	15.13350	7.56675	11.77050	16.81500
39	झांसी	1763	17.63	5.28900	2.64450	4.40750	2.20375	7.93350	3.96675	6.17050	8.81500
40	जे.पी. नगर	1578	15.78	4.73400	2.36700	3.94500	1.97250	7.10100	3.55050	5.52300	7.89000
41	कन्नौज	1578	15.78	4.73400	2.36700	3.94500	1.97250	7.10100	3.55050	5.52300	7.89000
42	कानपुर देहात	2340	23.40	7.02000	3.51000	5.85000	2.92500	10.53000	5.26500	8.15000	11.70000

क्र0सं0	जनपद	विद्यालयों की संख्या	कुल प्राविधानित बजट	डायट		बी0आर0सी0		ब्लाक		कुल धनराशि बी0आर0सी0 एवं ब्लाक (कालम 8 +10)	कुल अवमुक्त धनराशि (col 6+8+10)
				प्राविधानित बजट रू0 300/- प्रति विद्यालय	अवमुक्त धनराशि 50%	प्राविधानित रू0 250/- प्रति विद्यालय	अवमुक्त धनराशि 50%	प्राविधानित रू0 450/- प्रति विद्यालय	अवमुक्त धनराशि 50%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	कानपुर नगर	2452	24.52	7.35600	3.67800	6.13000	3.06500	11.03400	5.51700	8.58200	12.26000
44	काशी राम नगर	1374	13.74	4.12200	2.06100	3.43500	1.71750	6.18300	3.09150	4.80900	6.87000
45	कौशाम्बी	1396	13.96	4.18800	2.09400	3.49000	1.74500	6.28200	3.14100	4.88600	6.98000
46	कुशीनगर	2668	26.68	8.00400	4.00200	6.67000	3.33500	12.00600	6.00300	9.33800	13.34000
47	लखीमपुर खीरी	3587	35.87	10.76100	5.38050	8.96750	4.48375	16.14150	8.07075	12.55450	17.93500
48	ललितपुर	1417	14.17	4.25100	2.12550	3.54250	1.77125	6.37650	3.18825	4.95950	7.08500
49	लखनऊ	1903	19.03	5.70900	2.85450	4.75750	2.37875	8.56350	4.28175	6.66050	9.51500
50	महाराजगंज	1938	19.38	5.81400	2.90700	4.84500	2.42250	8.72100	4.36050	6.78300	9.69000
51	महोबा	1018	10.18	3.05400	1.52700	2.54500	1.27250	4.58100	2.29050	3.56300	5.09000
52	मैनपुरी	2138	21.38	6.41400	3.20700	5.34500	2.67250	9.62100	4.81050	7.48300	10.69000
53	मथुरा	1940	19.40	5.82000	2.91000	4.85000	2.42500	8.73000	4.36500	6.79000	9.70000
54	मऊ	1631	16.31	4.89300	2.44650	4.07750	2.03875	7.33950	3.66975	5.70850	8.15500
55	मेरठ	1583	15.83	4.74900	2.37450	3.95750	1.97875	7.12350	3.56175	5.54050	7.91500
56	मिर्जापुर	2164	21.64	6.49200	3.24600	5.41000	2.70500	9.73800	4.86900	7.57400	10.82000
57	मुरादाबाद	2896	28.96	8.68800	4.34400	7.24000	3.62000	13.03200	6.51600	10.13600	14.48000
58	मुजफ्फरनगर	2169	21.69	6.50700	3.25350	5.42250	2.71125	9.76050	4.88025	7.59150	10.84500
59	पीलीभीत	1797	17.97	5.39100	2.69550	4.49250	2.24625	8.08650	4.04325	6.28950	8.98500
60	प्रतापगढ़	2668	26.68	8.00400	4.00200	6.67000	3.33500	12.00600	6.00300	9.33800	13.34000
61	रायबरेली	1985	19.85	5.95500	2.97750	4.96250	2.48125	8.93250	4.46625	6.94750	9.92500
62	रामपुर	1994	19.94	5.98200	2.99100	4.98500	2.49250	8.97300	4.48650	6.97900	9.97000
63	सहारनपुर	1925	19.25	5.77500	2.88750	4.81250	2.40625	8.66250	4.33125	6.73750	9.62500
64	संतकबीरनगर	1492	14.92	4.47600	2.23800	3.73000	1.86500	6.71400	3.35700	5.22200	7.46000
65	शाहजहाँपुर	3158	31.58	9.47400	4.73700	7.89500	3.94750	14.21100	7.10550	11.05300	15.79000
66	सिद्धार्थनगर	2313	23.13	6.93900	3.46950	5.78250	2.89125	10.40850	5.20425	8.09550	11.56500
67	सीतापुर	3870	38.70	11.61000	5.80500	9.67500	4.83750	17.41500	8.70750	13.54500	19.35000
68	सोनभद्र	1991	19.91	5.97300	2.98650	4.97750	2.48875	8.95950	4.47975	6.96850	9.95500
69	श्रावस्ती	1234	12.34	3.70200	1.85100	3.08500	1.54250	5.55300	2.77650	4.31900	6.17000
70	सुल्तानपुर	2180	21.80	6.54000	3.27000	5.45000	2.72500	9.81000	4.90500	7.63000	10.90000
71	उन्नाव	2926	29.26	8.77800	4.38900	7.31500	3.65750	13.16700	6.58350	10.24100	14.63000
72	वाराणसी	1629	16.29	4.88700	2.44350	4.07250	2.03625	7.33050	3.66525	5.70150	8.14500
	योग	155732	1557.32	467.19600	233.59800	389.33000	194.66500	700.79400	350.39700	545.06200	778.66000

(रूपये सात करोड़ अठहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र)